उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम भलाराम अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 457/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/589

प्रार्थी : बनाम अप्रार्थी :

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली

भलाराम पुत्र चुन्नीलाल निवासी
वेरा वडला वाला, नाडोल,देसूरी
(हाल प्रोपराईटर)
फर्मः– मैसर्स पूर्णिमा शुद्ध
शाकाहारी भोजनालाय, नाडोल
तहसील देसूरी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णा सुथार।

–:निर्णयः–

दिनांकः 04.07.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म **मैसर्स पूर्णिमा शुद्ध शाकाहारी भोजनालाय, नाडोल तहसील देसूरी** वक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को पेश कर जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा. बीपीसीएल कम्पनी) मय एक भट्टी मय ट्युब नली रेगुलेटर को राज्यसात करने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग व घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी भ्रमण दौरान नाडोल स्थित एक प्रतिष्ठान मैसर्स पूर्णिमा शुद्ध शाकाहारी भोजनालाय, नाडोल तहसील देसूरी पहूंचे। मौके पर भलाराम पुत्र चुन्नीलाल उपस्थित मिले, जिन्होंने खुद को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रुबरु मौतबिरान शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल, निवासी वेरा वडला वाला, नाडोल तहसील देसूरी की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) बीपीसीएल कम्पनी के पाये गये। मौके पर भट्टी पर खाद्य सामग्री बनायी जा रही थी। मौके पर आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। तथा उक्त संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण, रिफलिंग एवं बिक्री किये जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग रुकवाया जाकर मौके पर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस पाली के प्रतिनिधि द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

वजन कि.ग्रा. में

क्र. स.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	22.030	15.700	6.330	2027

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम भलाराम अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2	घरेलु गैस सिलेण्डर	BPCL	14.200	17.100	15.800	1.300	728701

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध संग्रहण किये जाने के फलस्वरुप मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.200) बीपीसीएल कम्पनी मय एक भट्टी (एक बर्नर वाली) मय ट्यूब नली रेगूलेटर को जब्त कर वजह सबुत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मोतीलाल पुत्र गजाराम, निवासी पाली हाल डीलीवरी मैन वासुदेव एचपी गैस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया उपरोक्त कार्यवाही की मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफस लिये गयें। इस प्रकार भलाराम द्वारा गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग में लेकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.200) बीपीसीएल कम्पनी मय एक भट्टी (एक बर्नर वाली) मय ट्यूब नली रेगुलेटर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णा सुथार उपस्थित हुए। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने प्रकरण में जवाब पेश नही कर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया। प्रार्थी अन्य राजकार्यो में व्यस्त होने से काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया अप्रार्थी भलाराम की एक फर्म मैसर्स पूर्णिमा शुद्ध शाकाहारी भोजनालाय, नाडोल तहसील देसूरी पर स्थित है जिससे ही अप्रार्थी व इसके गरीब परिवार की आजीविका चलती है अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही में नरम रुख रखते हुए की कार्यवाही ड्रोप फरमावे। यह भी, कि भट्टी के उपयोग सम्बन्धि कोई प्रमाण प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा बहस में उठाए गए तथ्यों पर मनन उपरान्त न्यायालय का यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से व्यवसायिक भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबंध 3(1)(c) की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर कुल संख्या 02 को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है तथा भट्टी (एक बर्नर वाली) मय ट्युब नली रेगुलेटर को पर्याप्त साक्ष्य सबुतों के अभाव में व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयुक्त होना प्रमाणित नहीं होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए अवमुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णणानुसार घरेलु गैस सिलण्डरों का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) बी.पी.सी.एल कम्पनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना के कारण राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जब्तशुदा उपरोक्त 02 गैस सिलेण्डरों को मय् गैस सुपुर्ददार गैस एजेन्सी से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले. /नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F.04(23)/खा.ले./नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरुप ही जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम भलाराम अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

दिनांक :

क्रमांक / रसद वि.प्र.स. / 457 / 2024 / 2025 /

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, पाली
3. भलाराम पुत्र चुन्नीलाल निवासी वेरा वडला वाला, नाड़ोल तहसील देसूरी जिला पाली राज.

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner